भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **1162**
(मंगलवार, **10** फरवरी, 2026/**21** माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

व्यापार सुगमता का संवर्धन और कारपोरेट शासन को सुदृढ़ किया जाना

1162 श्री जग्गेशः
श्रीमती संगीता यादवः
श्री शंभू शरण पटेलः
डा. दिनेश शर्माः
श्रीमती रेखा शर्माः
डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंहः
श्री मयंककुमार नायकः
श्री लहर सिंह सिरोयाः
श्री बाबू राम निषादः
श्री चुन्नीलाल गरासियाः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष **2025** में कंपनी अधिनियम, **2013** के अंतर्गत व्यापार सुगमता के संवर्धन और कारपोरेट शासन को सुदृढ़ करने के लिए लागू किए गए मुख्य विनियामक परिवर्तन और नीति पहलें क्या-क्या हैं;
(ख) कंपनियों के लिए, निर्दिष्ट वित्तीय सीमाओं (श्रेशहोल्ड) का युक्तिकरण, प्रक्रियागत छूट और एमसीए वी**3** प्लेटफ़ॉर्म पर सुविधा-संबंधी विशेषताओं सहित अनुपालन दायित्वों को सरल बनाने हेतु कौन-कौन से उपाय अपनाए गए हैं;
(ग) यह सुधार कारपोरेट कंपनियों के लिए अनुपालन बोझ कम करने, पारदर्शिता बढ़ाने और विनियामक निश्चितता सुनिश्चित करने में किस प्रकार योगदान प्रदान कर रहे हैं; और
(घ) क्या इनके अनुपालन और शासन मानकों पर पड़ रहे प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?**

<u>उत्तर</u>

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने तथा कारपोरेट गवर्नेंस को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्ष 2025 में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत किए गए प्रमुख विनियामक परिवर्तनों एवं नीतिगत पहलों का विवरण अनुलग्नक-क में दिया गया है।

(ख): व्यापार सुगमता को प्रोत्साहित करने, अनुपालन को सुदृढ़ करने तथा पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से एमसीए21 का संस्करण-3 (एमसीए21 वी3) प्रारंभ किया गया है। एमसीए21 वी3 के माध्यम से वेब फाइलिंग, एलएलपी मॉड्यूल, कंपनी मॉड्यूल, ई-प्रवर्तन, ई-न्यायनिर्णयन, ई-परामर्श आदि जैसी विभिन्न सुविधाएं पहले ही लागू की जा चुकी हैं। अब सभी फाइलिंग वी3 के माध्यम से की जा रही हैं। वी3 पोर्टल पूर्व में भरे गए मास्टर डाटा के साथ वास्तविक समय सत्यापन की सुविधा प्रदान करता है, जिससे मैनुअल त्रुटियों, पुनःप्रस्तुतिकरण तथा अनुपालन समय-सीमा में कमी आई है। इसके अतिरिक्त, ई-न्यायनिर्णयन मॉड्यूल ने कंपनियों को नोटिसों का ऑनलाइन उत्तर देने में सहायता की है तथा सांविधिक रूप से निर्धारित समय-सीमाओं के अनुसार समय पर अनुपालन सुनिश्चित किया है। वी3 पोर्टल लघु कंपनियों की पहचान हेतु स्वतः ही निर्धारित सीमाओं सीमाओं को लागू करता है, जिसके परिणामस्वरूप, सरलीकृत अनुपालन आवश्यकताएँ लागू हो जाती हैं।

एमएसएमई एवं पेशेवरों को ई-प्ररूपों तथा अन्य सुविधाओं के उपयोग में सहायता प्रदान करने हेतु चरणबद्ध ई-प्ररूप फाइलिंग मैनुअल, वीडियो गाइड्स, एफएक्यू तथा वेब-आधारित प्ररूपों में सिस्टम प्रॉम्प्ट्स सहित मार्गदर्शन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त, देशभर के हितधारकों को को सहायता प्रदान करने हेतु एक केंद्रीकृत हेल्पडेस्क (टोल-फ्री नंबर, ई-मेल तथा लाइव-चैट सुविधा) भी स्थापित की गई है।

(ग): इन सुधारों के माध्यम से प्रक्रियाओं को सरल बनाकर कंपनियों पर अनुपालन भार को कम किया गया है। जनवरी, 2026 तक ई-न्यायनिर्णय मंच के माध्यम से कुल 1494 न्यायनिर्णयन आदेश पारित किए जा चुके हैं, जिससे कारपोरेट्स के लिए विनियामक निश्चितता तथा अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है।

(घ) ऐसा कोई विशेष मूल्यांकन नहीं किया गया है।

अनुलग्नक –क

दिनांक **10.02.2026** को उत्तर के लिए राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या **1162** के भाग (क) से संदर्भित

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वर्ष 2025 में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने तथा कारपोरेट गवर्नेंस को सुदृढ़ करने हेतु किए गए प्रमुख विनियामक परिवर्तन एवं नीतिगत पहलें

(क) कंपनी (समझौते, व्यवस्थाएँ एवं समामेलन) नियम, 2016 में सितंबर, 2025 में संशोधन कर फास्ट ट्रैक विलय एवं विविलय के दायरे का विस्तार किया गया है। इस रुट का लाभ उठाने हेतु अतिरिक्त कंपनियों की श्रेणियां हैं, जिनमें शामिल हैं: 1. निर्धारित सीमाओं को पूरा करने वाली दो या अधिक गैर-सूचीबद्ध कंपनियाँ (धारा 8 की कंपनियों को छोड़कर); 2. होल्डिंग एवं सहायक कंपनियाँ, उन मामलों को छोड़कर जहाँ हस्तांतरणकर्ता कंपनी सूचीबद्ध हो; 3. एक ही होल्डिंग कंपनी की दो या अधिक सहायक कंपनियाँ, उन मामलों को छोड़कर जहाँ हस्तांतरणकर्ता कंपनी सूचीबद्ध हो। इससे अधिक कंपनियां फास्ट ट्रैक विलय मार्ग का लाभ उठा सकेंगी, जिससे देश में कारपोरेट पुनर्गठन की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

(ख) मंत्रालय द्वारा नवंबर, 2025 में कंपनी (बोर्ड की बैठकें एवं उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 में संशोधन संशोधन कर आईएफएससीए में पंजीकृत वित्त कंपनियों को धारा 186 (उप-धारा (1) को छोड़कर), जो कंपनी द्वारा ऋण एवं निवेश से संबंधित है, के संबंध में छूट प्रदान की गई है। यह छूट आरबीआई में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों को उपलब्ध समान छूट के अनुरूप है।

(ग) एमसीए वी3 प्लेटफॉर्म में सुचारु संक्रमण को सुगम बनाने, अतिरिक्त शुल्क में छूट प्रदान करने, फाइलिंग की समय-सीमा बढ़ाने तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा एजीएम/ईजीएम के संचालन को सक्षम बनाने हेतु कई सामान्य परिपत्र जारी किए गए। इन उपायों से संक्रमण अवधि के दौरान कंपनियों पर अनुपालन भार में उल्लेखनीय कमी आई।

(घ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 880(अ), दिनांक 01.12.2025 के माध्यम माध्यम से लघु कंपनियों के लिए चुकता शेयर पूंजी एवं कारोबार की सीमा क्रमशः 4 करोड़ रुपये एवं 40 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये एवं 100 करोड़ रुपये कर दी गई है। इससे अधिक कंपनियाँ लघु कंपनियों के दायरे में आएंगी तथा इस प्रकार सरलीकृत अनुपालन का लाभ प्राप्त करेंगी, तथा उससे छोटे व्यवसायों के औपचारिकीकरण को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

(ङ) कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 में 31 दिसंबर, 2025 को संशोधन कर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के अंतर्गत रजिस्ट्रार सी-पेस के समक्ष आवेदन करने वाली सरकारी कंपनियों के नाम हटाने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। संशोधन के अनुसार, ऐसे मामलों में केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त/नामित एक या अधिक अधिक निदेशकों के संबंध में क्षतिपूर्ति बंधपत्र, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग में अधिकृत प्रतिनिधि जो (अवर सचिव या समकक्ष से कम का पदाधिकारी न हो) द्वारा कंपनी की ओर से दिया िया जाएगा।

(च) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 में 31 दिसंबर, 2025 को किए गए संशोधन के माध्यम से वार्षिक केवाईसी फाइलिंग की आवश्यकता को प्रतिस्थापित कर प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार सरल केवाईसी सूचना की व्यवस्था की गई है (जो 31 मार्च, 2026 से प्रभावी होगी)। संशोधित सरल केवाईसी प्ररूप का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकेगा, जैसे–(i) केवाईसी अनुपालन,(ii) मोबाइल नंबर का अद्यतन,(iii) ई-मेल पते का अद्यतन,(iv) आवासीय पते का का अद्यतन, तथा(v) डीआईएन का पुनः सक्रियण। इससे निदेशकों द्वारा केवाईसी फाइलिंग की आवृत्ति आवृत्ति में कमी आएगी।

(छ) विनियामक पहुँच को सुदृढ़ करने एवं सेवा डिलीवरी में सुधार हेतु मंत्रालय द्वारा 16 फरवरी, 2026 से चंडीगढ़, नवी मुंबई एवं बेंगलुरु में 03 नए क्षेत्रीय निदेशालय (आरडी) तथा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नोएडा, नागपुर एवं चंडीगढ़ में 06 नए कम्पनी रजिस्ट्रार (आरओसी) कार्यालयों का परिचालन प्रारंभ किया जाएगा। इन कार्यालयों की स्थापना कारपोरेट इकाइयों की संख्या में तीव्र वृद्धि एवं भविष्य की विनियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की गई है।